(13)

संख्या बी-3-1877/दस-2006-125/75-मो०वा०

प्रेषक,

डा० बी० एम० जोशी,
सचिव, वित्त (बजट),
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2006

विषय – राज्य कर्मचारियों को मोटर कार अग्रिम।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिए मोटरकार अग्रिम की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) पात्रता :–

रुपये 10,500 प्रतिमाह मूलवेतन अथवा उससे अधिक प्राप्त करने वाले कर्मचारी/अधिकारी मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(ii) अनुमन्य अग्रिम :–

प्रथम बार 11 माह का मूलवेतन या रुपये 1.80 लाख या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो, तथा द्वितीय बार या उसके बाद के अवसरों पर 11 माह का मूलवेतन या रुपये 1.60 लाख या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो।

टिप्पणी :– मूलवेतन का आशय दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में मूलवेतन से है।

2–राज्य कर्मचारियों को दूसरी बार अथवा बाद के अवसरों के लिए मोटरकार अग्रिम तभी स्वीकृत किया जाय जबकि पिछले मोटरकार अग्रिम लेने की तिथि से कम से कम चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो परन्तु निम्नलिखित मामलो में उक्त चार वर्ष का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा :–

(क) जबकि पहला अग्रिम मोटर सायकिल/स्कूटर के लिए दिया गया हो और अब अग्रिम मोटरकार क्रय के लिए मांगा गया हो।

(ख) जब कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में तैनाती होने या एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्ति होने पर भारत में अपनी मोटरकार को बेच देता है और भारत में मोटरकार के बिना वापस आता है।

(ग) जब कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में नियमित पद पर नियुक्त होता है और अपने साथ अपनी मोटरकार को लेकर नहीं जाता है।

टिप्पणी :– जब कोई सरकारी कर्मचारी दो विभिन्न प्रकार के वाहन जैसे – मोटरकार तथा मोटर सायकिल/स्कूटर क्रय करना चाहता है, और जिसने प्रथम अग्रिम से एक वाहन क्रय कर लिया हो और अब दूसरे प्रकार के वाहन क्रय के लिए अग्रिम की मांग की हो, तो उसे दूसरा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है तथा उसे पहले वाहन को बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वह प्रथम अग्रिम की अवशेष राशि, ब्याज सहित दूसरे अग्रिम के आहरण के पूर्व अदा कर दें। इस प्रकार के अग्रिम को दूसरा अग्रिम माना जायेगा।

3–राज्य कर्मचारियों से मोटरकार अग्रिम की वसूली वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-245 (डी) के अनुसार अधिकतम 200 मासिक किश्तों में की जायेगी।

4–जिन मामलों में पूर्व में मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि पूर्णरूप से अवमुक्त की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन नहीं किया जायेगा।

5–यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

6–वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में तद्नुसार, यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

बी० एम० जोशी,

सचिव, वित्त (बजट)।

संख्या बी-3-1877 (1)/दस-2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ० प्र०, इलाहाबाद।

2– महालेखाकार, (आडिट) प्रथम/द्वितीय उ० प्र०, इलाहाबाद।

3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4– विधान परिषद् तथा विधान सभा सचिवालय।

5– राज्यपाल सचिवालय।

6– महानिबन्धक, उच्च न्यायलय, इलाहाबाद।

7– वित्त (लेखा), अनुभाग-1 को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में आवश्यक संशोधन हेतु।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,

उप सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 23 सा० 30.8.2006–(1577)–15000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।